(5)

मुन्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0 एम0 ए0 नं0 – 33/2016–17

बेनजामीन मुर्मू

बनाम्

प्रभु मांझी

आदेश

4/2/2020

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में अभिलेखबद्ध कागजातों का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद की प्रकिया अपीलकर्त्ता बेनजामीन मुर्मू पे0 स्व0 चन्द्राय मुर्मू वो चार्लीस मुर्मू पे0 बेनजामीन मुर्मू सा0–डुमरा अंचल–बोआरीजोर जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश न0–52/2016–17 (प्रभु मांझी बनाम् बेनजामीन मुर्मू वगै0) में आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आदेश दिनांक–16.9.2016 के द्वारा मौजा डूमरा जमाबंदी सं0–3 दाग न0–92 रकवा 00–05–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता बेनजामीन मुर्मू एवं अन्य को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि उत्तरवादी ने मौजा डूमरा के जमाबंदी स0–3, दाग न0–92 रकवा 00–05–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए आर0ई0आर0 केश न0–52/16–17 दायर किया। उक्त जमाबंदी की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दलू मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है। लेकिन उत्तरवादी ने अपने मूल आवेदन में जो वंशावली का उल्लेख किया है, के अनुसार जमाबंदी रैयत के अन्य हिस्सेदार का उसमें सहमति नहीं है सिर्फ एकमात्र उत्तरवादी के द्वारा आवेदन दिया गया है, जबकि उक्त जमाबंदी में अन्य हिस्सेदार का भी अधिकार है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता बेनजामीन मुर्मू के पिता चन्द्राय मुर्मू ने 09.05.1935 ई0 को जमाबंदी रैयत दलु मांझी से कुर्फा बंदोवस्ती से वादगत जमीन प्राप्त किया था एवं उसी समय से वे उसपर मकान बनाकर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। कालान्तर में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बेनजामीन मुर्मू उस मकान में सपरिवार निवास करने लगे तथा नामांतरण वाद सं 04/2010 के द्वारा नामांतरण भी अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से करा लिया है। उक्त जमीन का मालगुजारी भी अपीलकर्त्ता बेनजामीन मुर्मू के

द्वारा दिया जा रहा है तथा उक्त मकान [illegible] अपीलकर्त्ता के द्वारा किया जा रहा है। अपीलकर्त्ता का पुन [illegible] अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से [illegible] प्रतिवेदन की माँग की गयी । अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादगत जमीन अपीलकर्त्ता बेनजामीन मुर्मू के पिता चन्द्राय मुर्मू को जमाबंदी रैयत दलू मांझी से घर बनाने के लिए दिनांक–09.05.1935 ई0 को कुर्फानामा द्वारा प्राप्त हुआ है एवं उस पर अपीलकर्त्ता मकान बनाकर वर्षो से रह रहे हैं। अंचल अधिकरी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन से प्रमाणित हो गया है कि वादगत जमीन में आवासीय मकान है और वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता प्रतिकूल प्रभाव से दखल के आधार पर हक कायम हो गया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने इन सारी तथ्यों का अवलोकन किये बिना गलत आदेश पारित किया है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलवाद को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी का कथन है कि वाद मौजा–डूमरा जमाबंदी सं0–3 दाग न0–92 रकवा 00–05–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार बाड़ी औवल की जमीन है जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दलू मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत दलू मांझी उत्तरवादी के परदादा है। वादगत जमीन उत्तरवादी के पैतृक जमीन है। उनका आगे कथन है कि परिवार के कर्त्ता होने के हैसियत से उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता को वादगत जमीन से उच्छेद करने के लिए आर0ई0आर0 वाद दायर किया। महागामा अनुमंडल बनने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को अंतरित किया गया। अनुमंडल पदाधिकरी, महागामा ने अपीलकर्त्ता से कारण पृच्छा की माँग की गयी। अपीलकर्त्ता ने वादगत जमीन पर दिनांक 09.05.1935 के कुर्फानामा के आधार पर दावा किया, लेकिल अपीलकर्त्ता ने वादगत जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल को कागजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं कर पाये और अनुमंडल पदाधिकरी, महागामा ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन मानते हुए अपीलकर्त्ता को वादगत जमीन से उच्छेद किया। अनुमंडल पदाधिकारी महागामा ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है, इसलिए उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी बोआरीजोर के पत्रांक–185/रा0 दिनांक 02.04.2019 के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मोजा डूमरा थाना न0 21 के जमाबदी सं0 03 में रैयत दलु मांझी वो रंगला मांझी पेशरान कलीआ मांझी वो मजु मांझी वो केला मांझी पेशरान मछुआ मांझी कौम भुइयाँ रा0 देह कहकर विगत खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग न0 92 रकवा 05–18–12 धुर जमीन किस्म बाड़ी औवल जमीन के अंदर रकवा 00–05–00 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता बेनजामीज मुर्मू का ईंट का दिवार एवं खपरैल छावनी से बना मकान एवं चाहर दिवारी वर्षो पूर्व से बना हुआ है, जिसे अपीलकर्त्ता के पिता स्व0 चन्द्रराय मुर्मू पे0 स्व0 हिन्दु मुर्मू के द्वारा उत्तरवादी प्रभु मांझी से 1935 ई में कुर्फानामा के माध्यम से अर्जित किया गया है। वादगत जमीन का नामांतरण भी अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2010 के द्वारा करवाया गया है। जमीन का मालगुजारी भी अपीलकर्त्ता के द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया है कि वादगत जमीन का स्वरूप बदल गया है। अब उक्त जमीन कृषि योग्य जमीन नहीं रहा, बल्कि आवासीय जमीन के रूप में परिवर्तित हो गया है और सारे तथ्य अपीलकर्त्ता के पक्ष में है, इसलिए इस वाद में संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, बोओरीजोर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य एवं निम्न न्यायलय का अभिलेख के अवलोकल से स्पष्ट होता है कि मौजा डूमरा थाना न0 21, जमाबंदी सं0 03 गत सर्वे सटेलमेंट पर्चा में दलु मांझी वो रंगलाल मांझी पे0 कलिया मांझी वो मंजु मांझी वो कैला मांझी पे0 मधुआ मांझी के नाम से दर्ज है। वादगत जमाबंदी के अन्तर्गत दाग न0 92 रकवा 05–18–12 धुर जमीन किस्म बाड़ी औवल कहकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने वादगत जमीन दिनांक 09.05.1935 ई0 के कुर्फा बंदोवस्ती के आधार पर दावा किया है एवं वर्षो पूर्व से अपीलकर्त्ता वादगत जमीन पर मकान बनाकर निवास करते है, लेकिन अपीलकर्त्ता ने न तो निम्न न्यायलय में और न ही वर्त्तमान अपील वाद में सादा कुर्फा का छाया प्रति के अलावे अन्य कोई साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि अपीलकर्त्ता का वादगत जमीन पर दखल 1949 के 12 वर्ष पूर्व से है। इस प्रकार प्रतिकुल प्रभाव से दखल संबधी दावा को साबित करने में अपीलकर्त्ता

विफल रहे है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायलय का पारित आदेश ... काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत ... होता है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश न0 52/2016–17 में दिनांक 16–9–2016 को पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

DV No. - 34
12/06/202

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:40:49 +05:30
Location: 192.168.29.32